ऑन लाईन नं. GCMS 2026/10

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03 / 2026

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री नरेश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (विक्रेता), मैसर्स– महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 418 गली नं. 4, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. श्री लक्ष्मण धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (मालिक), मैसर्स– महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 418 गली नं. 4, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 15.05.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप–3 / ई–5095 / 2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता / संस्था. / 2024 / 1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था. / 2024 / 1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2025 को समय 04.40 पीएम बजे को महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता श्री नरेश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा को अपना परिचय देकर उक्त संस्थान में फ्रीज के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला(छैना मिठाई)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का विक्रेता बताया व संस्थान में फ्रीज के अंदर रखे लगभग 06 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला(छैना मिठाई)** को आमजन में विकय वास्ते होना बाताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 6 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नरेश कुमार धींगड़ा (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री नरेश कुमार (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छैना मिठाई) में से 02 किलोग्राम को विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला(छैना मिठाई)** 02 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ–सूथरे डिब्बों में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बद किये और चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–3156** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–3156** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर प्रोपराईटर एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हुहक्मचंद धींगड़ा (विकेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1573/Act/2025/1573 Dated 10.11.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3156 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **नरेश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (विकेता) और लक्ष्मण धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (मालिक),**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner

मैसर्स– महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 418 गली नं. 4, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **रसगुल्ला(छैना मिठाई)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि We would like to came in your notice that one Sample Rasgulla (Chenna Mithai) Lifted by Food Safety Officer from our Premise M/s Mahalaxmi Sweets on 03. 11. 2025 and same sample has been tested by Public Health Laboratory, Bikaner, Rajasthan. As per Report of Food Analyst Sample declared Substandard and we received a summon from your good office vide case No. 03/2026.

We would like to inform you that Discrepancy mentioned in report is purely unintentional and it may due to lapse at supplier end. We would like to inform that after receiving this report, we started to testing major Raw material so ensure Food Safety. So it is requested to give relaxation in this matter, we also ensure the full compliances in future.

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **रसगुल्ला(छैना मिठाई)** का सैम्पल **K-3156** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1573/Act/2025/1573 Dated 10.11.2025 **SubStandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि We would like to inform you that Discrepancy mentioned in report is purely unintentional and it may due to lapse at supplier end. We would like to inform that after receiving this report, we started to testing major Raw material so ensure Food Safety. So it is requested to give relaxation in this matter, we also ensure the full compliances in future.

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rasgulla (Chhena Mithai)"** bearing Code No and Sr. No. **K-3156**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of milk fat as prescribed in food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. **The Sample is also Food containing extraneous matter**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to prsence of added starch की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **नरेश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (विक्रेता) और लक्ष्मण धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (मालिक), मैसर्स– महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 418 गली नं. 4, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **नरेश कुमार धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (विक्रेता) और लक्ष्मण धींगड़ा पुत्र श्री हुक्मचंद धींगड़ा (मालिक), मैसर्स– महालक्ष्मी स्वीट्स, खालसा नगर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 418 गली नं. 4, इंदिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 12,000–00 (अखरे रूपये बारह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)